# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–128 / 2021

**प्रार्थी:–**

प्रहलादसिंह पुत्र जवाहरसिह जाति राजपुरोहित निवासी धीरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

**बनाम**

**विप्रार्थी:–**

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

**उपस्थित :–**

**श्री ललित जांगिड अधिवक्ता प्रार्थी**

## –:: आदेश ::–

दिनांक :– 25.11.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम मांगी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 112 व 79 रकबा 4.8158 व 1.9182, हैक्टेयर तथा ग्राम धीरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 500, 519, 55, 288, 289 व 290 रकबा क्रमशः 0.7608, 1.1331, 1.1817, 5.8032, 0.0243 व 0.0648 हैक्टेयर की आई हुई है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट व अन्य सरकारी दस्तावेजात में उसका वास्तविक नाम ''प्रहलादसिंह पुत्र जवाहरसिंह'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में फौतदगी का नामान्तकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी का नाम कैलाश पुत्र जवाराराम'' व ''कैलाश पुत्र जवारा'' लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक PGKS / 2023 / 28 दिनांक 25.05.2023 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में चम्पादेवी पत्नि जवारसिंह का बयान कलमबद्ध करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:46 IST
Reason: Self Attested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''प्रहलादसिह पुत्र जवाहरसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम मांगी तहसील

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

सिवाना के खसरा संख्या 112 व 79 रकबा 4.8158 व 1.9182, हैक्टेयर तथा ग्राम धीरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 500, 519, 55, 288, 289 व 290 रकबा क्रमशः 0.7608, 1.1331, 1.1817, 5.8032, 0.0243 व 0.0648 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम ''कैलाश पुत्र जवाराराम'' व ''कैलाश पुत्र जवारा'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, तहसीलदार सिवाना द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र,मतदाता परिचय पत्र,जनआधार कार्ड,पासपोर्ट,पेनकार्ड,राशनकार्ड व ग्राम पंचायत मांगी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''प्रहलादसिंह पुत्र जवाहरसिंह '' की तकसीद होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''कैलाश पुत्र जवाराराम'' व ''कैलाश पुत्र जवारा'' दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में ''कैलाश पुत्र जवाराराम'' व ''कैलाश पुत्र जवारा'' तथा ''प्रहलादसिंह पुत्र जवाहरसिंह'' एक ही व्यक्ति होना बताया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम मांगी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 112 व 79 रकबा 4.8158 व 1.9182, हैक्टेयर तथा ग्राम धीरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 500, 519, 55, 288, 289 व 290 रकबा क्रमशः 0.7608, 1.1331, 1.1817, 5.8032, 0.0243 व 0.0648 हैक्टयेर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम ''कैलाश पुत्र जवाराराम'' व ''कैलाश पुत्र जवारा'' के स्थान पर ''प्रहलादसिंह पुत्र जवाहरसिंह'' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.12.28 13:18:46 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)